

The Integrated Goods & Services Tax Rules, 2017

¹[Rule 4 : Supply of services attributable to different states/Union Territories u/s 12(3)]

The supply of services attributable to different States or Union territories, under sub section (3) of section 12 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter in these rules referred to as the said Act), in the case of-

- (a) services directly in relation to immovable property, including services provided by architects, interior decorators, surveyors, engineers and other related experts or estate agents, any service provided by way of grant of rights to use immovable property or for carrying out or co-ordination of construction work; or
- (b) lodging accommodation by a hotel, inn, guest house, homestay, club or campsite, by whatever name called, and including a houseboat or any other vessel ; or
- (c) accommodation in any immovable property for organising any marriage or reception or matters related thereto, official, social, cultural, religious or business function including services provided in relation to such function at such property; or
- (d) any services ancillary to the services referred to in clauses (a), (b) and (c), where such immovable property or boat or vessel is located in more than one State or Union territory, shall be taken as being in each of the respective States or Union territories, and in the absence of any contract or agreement between the supplier of service and recipient of services for separately collecting or determining the value of the services in each such State or Union territory, as the case maybe, shall be determined in the following manner namely:-
 - (i) in case of services provided by way of lodging accommodation by a hotel, inn, guest house, club or campsite, by whatever name called (except cases where such property is a single property located in two or more contiguous States or Union territories or both) and services ancillary to such services, the supply of services shall be treated as made in each of the respective States or Union territories, in proportion to the number of nights stayed in such property;
 - (ii) in case of all other services in relation to immovable property including services by way of accommodation in any immovable property for organising any marriage or reception etc., and in cases of supply of accommodation by a hotel, inn, guest house, club or campsite, by whatever name called where such property is a single property located in two or more contiguous States or Union territories or both, and services ancillary to such services, the supply of services

1 Rule 4 inserted by Noti. No. 04/2018-Integrated Tax, dt. 31-12-2018 w.e.f. 01-01-2019.

The Integrated Goods & Services Tax Rules, 2017

shall be treated as made in each of the respective States or Union territories, in proportion to the area of the immovable property lying in each State or Union territory;

- (iii) in case of services provided by way of lodging accommodation by a house boat or any other vessel and services ancillary to such services, the supply of services shall be treated as made in each of the respective States or Union territories, in proportion to the time spent by the boat or vessel in each such State or Union territory, which shall be determined on the basis of a declaration made to the effect by the service provider.

Illustration 1: A hotel chain X charges a consolidated sum of ₹ 30,000/- for stay in its two establishments in Delhi and Agra, where the stay in Delhi is for 2 nights and the stay in Agra is for 1 night. The place of supply in this case is both in the Union territory of Delhi and in the State of Uttar Pradesh and the service shall be deemed to have been provided in the Union territory of Delhi and in the State of Uttar Pradesh in the ratio 2:1 respectively. The value of services provided will thus be apportioned as ₹ 20,000/- in the Union territory of Delhi and ₹ 10,000/- in the State of Uttar Pradesh .

Illustration 2: There is a piece of land of area 20,000 square feet which is partly in State S1 say 12,000 square feet and partly in State S2, say 8000 square feet. Site preparation work has been entrusted to T. The ratio of land in the two states works out to 12:8 or 3:2 (simplified). The place of supply is in both S1 and S2. The service shall be deemed to have been provided in the ratio of 12:8 or 3:2 (simplified) in the States S1 and S2 respectively. The value of the service shall be accordingly apportioned between the States.

Illustration 3: A company C provides the service of 24 hours accommodation in a houseboat, which is situated both in Kerala and Karnataka inasmuch as the guests board the house boat in Kerala and stay there for 22 hours but it also moves into Karnataka for 2 hours (as declared by the service provider). The place of supply of this service is in the States of Kerala and Karnataka. The service shall be deemed to have been provided in the ratio of 22:2 or 11:1 (simplified) in the states of Kerala and Karnataka, respectively. The value of the service shall be accordingly apportioned between the States.]

1[नियम 4 : धारा 12(3) के अधीन, भिन्न-भिन्न राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदाय योग्य सेवाओं की पूर्ति

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन, भिन्न-भिन्न राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदाय योग्य सेवाओं की पूर्ति,—

- (क) प्रत्यक्षरूप से स्थावर संपत्ति के संबंध में सेवाएं, जिसके अंतर्गत वास्तुविदों, आंतरिक सज्जाकारों, सर्वेक्षकों, इंजीनियरों और अन्य संबंधित विशेषज्ञों या संपदा अभिकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाएं भी हैं, स्थावर संपत्ति के उपयोग का अधिकार प्रदान करने के रूप में दी गई या संनिर्माण कार्य करने या उसे समन्वित करने के लिए किसी सेवा की पूर्ति; या
- (ख) किसी होटल, सराय, अतिथिगृह, गृह निवास, क्लब या शिविर स्थान द्वारा चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हों, जिसके अंतर्गत हाउस बोट या कोई अन्य जलयान भी है, वास सुविधा के रूप में सेवाओं की पूर्ति; या
- (ग) कोई विवाह या स्वागत समारोह या उससे संबंधित मामलों को आयोजित करने के लिए शासकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या कारबार समारोह जिसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति पर ऐसे समारोह के संबंध में दी गई सेवाएं भी हैं, के लिए किसी स्थावर संपत्ति में वास सुविधा के रूप में सेवाओं की पूर्ति; या

(घ) खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सेवाओं की अनुषंगी कोई सेवाओं, के मामले में,

जहां ऐसी स्थावर संपत्ति या नौका या जलयान एक या अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित है वहां सेवाओं की पूर्ति प्रत्येक क्रमिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में होने के रूप में होगी और यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सेवाओं को पृथक रूप से संगृहित करने या उनके मूल्य का अवधारण करने के लिए सेवाओं के पूर्तिकार और सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के बीच किसी संविदा या करार के अभाव में निम्नलिखित रीति से अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :

- (i) किसी होटल, सराय, अतिथिगृह, क्लब या शिविर स्थान चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, द्वारा वास आवास की सुविधा (उन दशाओं को छोड़कर जहां ऐसी संपत्ति दो या अधिक संलग्न राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों या दोनों में एकल संपत्ति के रूप में अवस्थित है) और उनसे आनुषंगिक ऐसी सेवाओं को प्रदान करने की दशा में सेवाओं की पूर्ति को प्रत्येक क्रमिक राज्यों या राज्य संघ क्षेत्रों में ऐसी संपत्ति में रात्रि ठहराव की संख्या के अनुपात में किया गया समझा जाएगा;
- (ii) स्थावर संपत्ति के संबंध में अन्य सभी सेवाओं की दशा में, जिसके अंतर्गत, कोई विवाह या स्वागत समारोह आदि हैं और किसी होटल, सराय, अतिथिगृह, क्लब या शिविर स्थान चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, द्वारा वास आवास की सुविधा, जहां ऐसी संपत्ति दो या अधिक संलग्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों या दोनों में एकल संपत्ति के रूप में अवस्थित है और ऐसी सेवाओं के आनुषंगिक सेवाओं को प्रदान करने की दशा में सेवाओं की पूर्ति को प्रत्येक क्रमिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों में पड़ी हुई स्थावर संपत्ति के अनुपात में किया गया समझा जाएगा;

1 नियम 4 अधिसूचना क्रमांक 4/2018-एकीकृत कर, दिनांक 31.12.2018 एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018, द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2019)। राजपत्र में शीर्षक नहीं दिये गये हैं। शीर्षक लेखक द्वारा दिये गये हैं।

एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017

- (iii) हाउस बोट या अन्य जलयान द्वारा प्रदान की गई वास आवास के रूप में सेवाओं के अनुषंगी सेवाओं की दशा में सेवाओं की पूर्ति को प्रत्येक क्रमिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जलयान या नौका द्वारा व्यतीत किए गए समय के अनुपात में किया गया समझा जाएगा, जिसे सेवा प्रदाता द्वारा इस अभाव की घोषणा के आधार पर अवधारित किया जाएगा।

दृष्टांत 1 : एक होटल श्रंखला X इसके दो स्थापनों दिल्ली और आगरा में रुकने के लिए 30,000/- रु. की राशि की समेकित राशि भारित करती है, जहां दिल्ली में 2 रात का ठहराव है और आगरा में एक रात के लिए ठहराव है। इस मामले में पूर्ति का स्थान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र और उत्तरप्रदेश राज्य दोनों है, और सेवाओं को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र और उत्तरप्रदेश राज्य में क्रमशः 2:1 के अनुपात में प्रदाय किया गया समझा जाएगा। इस प्रकार प्रदत्त सेवाओं के मूल्य का प्रभाजन 20,000/-रु. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में और 10,000/-रु. उत्तरप्रदेश राज्य में किया जाएगा।

दृष्टांत 2 : एक 20,000 वर्ग फीट भूमि का टुकड़ा जो भागतः मानो 12,000 वर्ग फीट राज्य एस 1 में और भागतः मानो 8,000 वर्ग फीट राज्य एस 2 में है। स्थल तैयारी कार्य टी को सौंपा गया। दोनों राज्यों में भूमि के अनुपात की गणना 12:8 या 3:2 (सरलीकृत) के रूप में हुई। पूर्ति का स्थान एस 1 और एस 2 दोनों राज्यों में है। सेवाओं को क्रमशः दोनों राज्यों एस 1 और एस 2 में 12:8 या 3:2 (सरलीकृत) के अनुपात में प्रदान किया गया समझा जाएगा। सेवा का मूल्य राज्यों के बीच तदनुसार प्रभाजित किया जाएगा।

दृष्टांत 3 : एक कंपनी सी 24 घंटे हाउस बोट में आवास की सेवा प्रदान करती है, जो कि केरल और कर्नाटक दोनों राज्यों में है, चूंकि अतिथि केरल में हाउस बोट पर बैठते हैं और वहां 22 घंटों के लिए रुकते हैं लेकिन यह कर्नाटक में भी 2 घंटे के लिए जाती है (जैसा कि सेवा प्रदान ने घोषित किया है) इस सेवा की पूर्ति का स्थान केरल और कर्नाटक राज्य है। सेवाओं को क्रमशः केरल और कर्नाटक में 22:2 या 11:1 (सरलीकृत) के अनुपात में प्रदान किया समझा जाएगा। सेवा का मूल्य राज्यों के बीच तदनुसार प्रभाजित किया जाएगा।